भारत सरकार/Government of India
केन्द्रीय जल आयोग/ Central Water Commission
अधिशासी अभियंता का कार्यालय/ Office of the Executive Engineer
पूर्वी नदियाँ मंडल/ Eastern Rivers Division
प्लॉट संख्या ए 13 &14भोईनगरभुवनेश्वर
Plot No. A-13 & 14 Bhoi Nagar /Bhubaneswar - 751022

दूरभाष- 0674 2540086 Tel- 0674 2540086
ई मेल- eeerdcwc@yahoo.co.in e-mail- eeerdcwc@yahoo.co.in

निविदा आमंत्रण सूचना

संख्या: ERD/JE(HQ)/NIT/2024-25/ 2439-52 (H) **दिनांक :10/12/2024**

अधिशासी अभियंता, पूर्वी नदियाँ मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, प्लॉट संख्या ए-13 और 14, भोई नगर, भुवनेश्वर-751022 (ओडिशा), भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए वास्तविक/ अधिकृत/ सरकार द्वारा अनुमोदित ठेकेदारों/ फर्मों/ एजेंसियों से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित करता है। नीचे दी गई शर्तों के अनुसार निविदा प्रस्तुत करके निविदा को **दिनांक 06.01.2025, 16:00 बजे** या उससे पहले जमा की जानी चाहिए और इसे **07.01.2025 को 16.00 बजे** खोला जाएगा।

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रु.)	बोली सुरक्षा (रु.)/ बयाना राशि (ईएमडी)	निविदा दस्तावेज की लागत (रु.)	कार्य पूर्ण होने की अवधि
1	महानदी एवं पूर्वी नदियाँ संगठन (M&ERO), केन्द्रीय जल आयोग (CWC), भुवनेश्वर में कॉन्फ्रेंस हॉल की मरम्मत और नवीनीकरण	**16,30,528/-**	**32,611/-**	500/- (वापसी योग्य नहीं)	**90 दिन**

नियम और शर्तें:

1. उपरोक्त कार्य के निविदा दस्तावेज का पूरा सेट जिसमें विस्तृत नियम और शर्तें, मात्राओं की अनुसूची शामिल है, पात्र एजेंसियों द्वारा **06.01.2025** के **14:00** बजे तक **https://eprocure.gov.in** से प्राप्त/ डाउनलोड किया जा सकता है। निविदाकर्ताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे निविदा दस्तावेज की लागत और ईएमडी की हार्ड कॉपी (मूल रूप में) अधिशासी अभियंता, पूर्वी नदियाँ मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, भुवनेश्वर के कार्यालय में **07.01.2025 के 16.00 बजे** से पहले किसी भी संचार माध्यम से जमा करें। निविदाएं केवल निविदा दस्तावेज की लागत और ईएमडी की प्राप्ति के बाद ही स्वीकार की जाएंगी । निविदा दस्तावेज की लागत का भुगतान अधिशासी अभियंता, पूर्वी नदियाँ मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, भुवनेश्वर के पक्ष में भुवनेश्वर में देय किसी भी अनुसूचित बैंक से निकाले गए ए/सी पेई डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाना चाहिए ।

2. दरें GST (18%) तथा सभी करों सहित उद्धृत की जानी चाहिए । अन्य कोई भी शुल्क अलग से स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. निविदाओं के साथ रु.**32,611.00** (बत्तीस हजार छह सौ ग्यारह मात्र) की बोली सुरक्षा (ईएमडी) होनी चाहिए। जो की अधिशासी अभियंता, पूर्वी नदियाँ मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, भुवनेश्वर के पक्ष में भुवनेश्वर में देय बैंक गारंटी/ बैंकर्स चेक/ डिमांड ड्राफ्ट/ अनुसूचित बैंक का ऋण पत्र/ सरकारी ऋण बांड/ एनएससी/ पोस्टल पास बुक (कोई एक) के रूप में होनी चाहिए। सार्वजनिक खरीद नीति के तहत पंजीकृत एमएसई (MSE) फर्मों को ईएमडी और निविदा की लागत के भुगतान से छूट दी जायेगी। एमएसई (MSE) फर्मों से अनुरोध है कि वे ऐसी छूट प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्र संलग्न करें।

4. अधिशासी अभियंता, पूर्वी नदियाँ मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, भुवनेश्वर के कार्यालय में उपरोक्त तिथि और समय पर एक **बोली-पूर्व बैठक (Pre-Bid Meeting)** होगी जिसमें सभी इच्छुक बोलीदाताओं/ निविदाकर्ताओं को बैठक में सकारात्मक रूप से उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है। इस बैठक

o/c

का प्राथमिक उद्देश्य कार्यों की प्रकृति/ इसकी तकनीकी कठिनाइयों पर चर्चा करना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी संभावित बोलीदाताओं को निवेदन की आवश्यकताओं के बारे में पूरी जानकारी हो। यह बैठक कार्य के दायरे और कार्य से जुड़ी किसी भी महत्वपूर्ण शर्त आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रसार की अनुमति देता है।

5. निविदाकर्ताओं के पास भाग लेने के लिए अपेक्षित पात्रता मानदंड होनी चाहिए अन्यथा उनकी निविदाएं अस्वीकार कर दी जाएंगी। इसके लिए, निविदाकर्ताओं को पिछले **07 (सात)** वर्षों के दौरान समान कार्य/ समान प्रकृति के कार्य को संतोषजनक ढंग से पूरा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जहां उनके द्वारा प्रदान किए गए कार्य संतोषजनक हैं और इसकी जांच भी की जा सकती है। बोलीदाताओं को नीचे दिए गए अनुसार संतोषजनक प्रदर्शन प्रदान करने के मानदंडों को पूरा करना होगा:

   पिछले महीने के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले पिछले **07 वर्षों** के दौरान सफलतापूर्वक कार्य पूरा करने का अनुभव इस प्रकार होनी चाहिए।

   तीन समान कार्य* जिनकी लागत अनुमानित लागत के 40% से कम न हो

   या

   दो समान कार्य* जिनकी लागत अनुमानित लागत के 60% से कम न हो

   या

   एक समान कार्य* जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% से कम न हो

   और

   सार्वजनिक खरीद नीति के तहत पंजीकृत एमएसई (MSE) फर्मों के पास पिछले महीने के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले पिछले **07 वर्षों** के दौरान सफलतापूर्वक कार्य पूरा करने का अनुभव इस प्रकार होनी चाहिए।

   तीन समान कार्य* जिनकी लागत अनुमानित लागत के 20% से कम न हो

   या

   दो समान कार्य* जिनकी लागत अनुमानित लागत के 30% से कम न हो

   या

   एक समान कार्य* जिसकी लागत अनुमानित लागत के 40% से कम न हो

   ***समान कार्य का अर्थ है किसी भी केंद्र या राज्य सरकार के लिए या पीएसयू (PSU) आदि के लिए भवन निर्माण कार्य/ भवन की मरम्मत/ नवीनीकरण/ सड़कों/ पुलों आदि का निर्माण आदि ।**

   उपर्युक्त मानदंडों को पूरा न करने वाले बोलीदाता/ निविदाकर्ताओं की निविदा को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

6. ब्लैक लिस्टेड **(Blacklisted)** निविदाकर्ताओं/ बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा प्रक्रिया में भाग न लें। प्रत्येक निविदाकर्ता को यह बताते हुए एक अंडरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसे किसी भी केंद्र या राज्य सरकार की एजेंसी/ केंद्र या राज्य सरकार के उपक्रमों द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है। कार्य के निष्पादन के दौरान यदि यह पता चलता है कि ठेकेदार को पहले ही ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है, तो भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधिशासी अभियंता को ठेकेदार को कोई मुआवजा दिए बिना अनुबंध समाप्त करने की स्वतंत्रता होगी।

7. पिछले 3 (तीन) वर्षों का औसत वार्षिक कारोबार निविदा की अनुमानित लागत से कम नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक खरीद नीति के तहत पंजीकृत एमएसई (MSE) फर्मों के लिए पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक कारोबार अनुमानित लागत का **50% से कम नहीं** होना चाहिए।

8. असामान्य रूप से कम बोली में बोली लगाने वाले को लिखित घोषणा या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा कि बोली लगाने वाला कार्य के दायरे, कार्य की गुणवत्ता, जोखिमों और जिम्मेदारियों के आवंटन और बोली दस्तावेज की अन्य सभी शर्तों के साथ समझौता नहीं करेगा। यदि, वित्तीय बोली का मूल्यांकन करने के बाद, खरीद करने वाली इकाई यह निर्धारित करती है कि बोली लगाने वाला प्रस्तावित मूल्य पर अनुबंध देने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने में काफी हद तक विफल रहा है, तो खरीद करने वाली इकाई बोली/ प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकती है।

9. निविदा केवल CPPP वेबसाइट पर दो लिफाफों में प्रस्तुत की जाएगी, जिन्हें लिफाफा-I (ENVELOPE- I) के रूप में "तकनीकी दस्तावेज (TECHNICAL DOCUMENTS)" और लिफाफा-II (ENVELOPE-II) के रूप

में "वित्तीय बोली (FINANCIAL BID)" के रूप में चिह्नित किया जाएगा। लिफाफा-I में टेंडर की लागत, ईएमडी और टेंडर दस्तावेज के अनुसार आवश्यक तकनीकी दस्तावेजों की स्कैन (Scan) की गई प्रति होनी चाहिए। लिफाफा-II में वित्तीय BOQ होना चाहिए। लिफाफा-I में किसी भी तरह की कमी होने पर तकनीकी अयोग्यता के कारण टेंडर को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसी तरह, लिफाफा-II (वित्तीय BOQ) में कोई भी कमी पाए जाने पर टेंडर को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

10. अधिशासी अभियंता को बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को अस्वीकार या स्वीकार करने का अधिकार है।

11. जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकार की जाती है, उसे निर्धारित अवधि के भीतर निविदा राशि का **3% (तीन प्रतिशत)** निष्पादन गारंटी (Performance Guaranty) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यह गारंटी किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंकर्स चेक / डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर या सरकारी प्रतिभूतियों या किसी अनुसूचित बैंक या भारतीय स्टेट बैंक की सावधि जमा रसीद या गारंटी बांड या निर्धारित प्रपत्र के अनुसार ऑनलाइन भुगतान के रूप में होगी। वारंटी अवधि के दौरान सफल प्रदर्शन के बाद निष्पादन गारंटी वापस कर दी जाएगी।

12. भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधिशासी अभियंता सबसे कम या किसी अन्य निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, और बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अधिशासी अभियंता निविदा के पूरे या किसी हिस्से को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। और निविदाकर्ता उद्धृत दरों पर इसे निष्पादित करने के लिए बाध्य होगा।

13. जिन निविदाओं में निर्धारित शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं की गई है या किसी भी तरह से अधूरी है, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

14. निविदाओं के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार करना सख्त वर्जित है और प्रचार करने वाले ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत निविदाओं को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

15. निविदाकर्ता को केन्द्रीय जल आयोग में ऐसे कार्यों के लिए निविदा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें उसका नजदीकी रिश्तेदार डिवीजनल अकाउंटेंट या चीफ इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर (दोनों शामिल) के ग्रेड के बीच किसी भी क्षमता में अधिकारी के रूप में तैनात है। उसे उन व्यक्तियों के नाम भी सूचित करने होंगे जो किसी भी क्षमता में उसके साथ काम कर रहे हैं या बाद में उसके द्वारा नियोजित किए गए हैं और जो केंद्रीय जल आयोग या जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, आरडी और जीआर में किसी राजपत्रित अधिकारी के नजदीकी रिश्तेदार हैं। निविदाकर्ता द्वारा इस शर्त का कोई भी उल्लंघन उसे इस निविदा भागीदारी से हटाने के लिए उत्तरदायी बना देगा।

16. कार्य का विवरण इस प्रकार है:यह कार्य "महानदी एवं पूर्बी नदियाँ संगठन (M&ERO), केन्द्रीय जल आयोग (CWC), भुवनेश्वर में कॉन्फ्रेंस हॉल की मरम्मत और नवीनीकरण" भुवनेश्वर शहर में स्थित केन्द्रीय जल आयोग के तीन मंजिला कार्यालय भवन की दूसरी मंजिल पर स्थित लगभग 9.50 मीटर x 6.0 मीटर आकार के एक सम्मेलन हॉल का नवीनीकरण कार्य है। कार्य में प्रमुख हैं (i) झूठी छत (False Ceiling) को हटाना और उसका पुनः निर्माण (ii) एल्युमीनियम की खिड़कियों को हटाना और उनकी जगह यूपीवीसी (uPVC) खिड़कियां लगाना (iii) कॉयर विनियर्ड वॉल पैनलिंग और यूपीवीसी लौवर वॉल पैनलिंग (iv) प्लाई वुड फाइल कैबिनेट, बॉटम और लोफ्ट बनाना (v) कॉन्फ्रेंस टेबल की मरम्मत और संशोधन (vi) दरवाजे का संशोधन (vii) कुर्सियों की मरम्मत (लगभग 40) (viii) छत पर एलईडी लाइट लगाना, 02 एकल फेज कैसेट सीलिंग 2 टन एयर कंडीशनर (ix) विद्युत वायरिंग (x) 01 ग्लो साइन बोर्ड (xi) लगभग 10 माइक्रोफोन सेट, केन्द्रीय नियंत्रण इकाई (टच स्क्रीन) के साथ, की स्थापना। (xii) 240 वाट या अधिक मिक्सिंग एम्प्लीफायर, एचडीएमआई (HDMI) केबल, स्पीकर केबल, माइक्रोफोन केबल, ऑडियो केबल, अन्य केबल (xiii) लकड़ी की फिनिश के साथ एचडीएमआर (HDMR) बोर्ड (xiv) विंडो स्क्रीन/ रोलर ब्लाइंड्स आदि। इच्छित कार्य के विस्तृत विनिर्देशों का पालन करने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित तकनीकी विनिर्देशों को पढ़ें।

17. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे कार्य स्थल/ कार्यालय और उसके आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करें और निविदाएं प्रस्तुत करने से पहले साइट के स्वरूप और प्रकृति, साइट तक पहुंच के साधन, उनके लिए आवश्यक आवास आदि के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लें। सामान्य तौर पर निविदाकर्ता जोखिमों, आकस्मिकताओं और अन्य परिस्थितियों के बारे में सभी आवश्यक जानकारी, जो

उनकी निविदाओं को प्रभावित कर सकती है, को स्वयं प्राप्त करें। हर एक निविदाकर्ता को कार्य स्थल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, चाहे वह इसका निरीक्षण करे या नहीं, किसी भी गलतफहमी या अन्यथा के कारण कोई अतिरिक्त दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदाकर्ता को अपने स्वयं के खर्च पर, कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों, उपकरणों और संयंत्रों, पानी, बिजली, श्रमिकों के लिए सुविधाओं और अन्य सभी सेवाओं की व्यवस्था और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होना होगा, जब तक कि अनुबंध दस्तावेजों में अन्यथा विशेष रूप से प्रावधान न किया गया हो। निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का तात्पर्य है कि उसने इस नोटिस और अन्य सभी अनुबंध दस्तावेजों को पढ़ लिया है। और किए जाने वाले कार्य के दायरे और विशिष्टताओं और शर्तों और दरों से खुद को अवगत करा लिया है। जिस पर सरकार द्वारा उसे स्टोर, उपकरण और संयंत्र आदि जारी किए जाएंगे उस पर तथा स्थानीय परिस्थितियों एवं कार्य के निष्पादन पर असर डालने वाले अन्य कारकों के बारे में भी अवगत होनी चाहिए।

18. भारत सरकार के किसी इंजीनियरिंग विभाग में इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कर्तव्यों में कार्यरत किसी भी राजपत्रित पद के इंजीनियर या अन्य राजपत्रित अधिकारी को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद एक वर्ष की अवधि के दौरान भारत सरकार की लिखित अनुमति के बिना ठेकेदार के रूप में काम करने की अनुमति नहीं है। यह अनुबंध रद्द किया जा सकता है यदि ठेकेदार या उसके किसी भी कर्मचारी को किसी भी समय ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जिसने निविदा प्रस्तुत करने या ठेकेदार की सेवा में शामिल होने से पहले भारत सरकार की पूर्वोक्त अनुमति प्राप्त नहीं की थी।

19. निविदाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से **120 दिनों** की अवधि के लिए निविदा स्वीकृति के लिए खुली रहेगी। यदि कोई निविदाकर्ता उक्त अवधि से पहले अपनी निविदा वापस ले लेता है या निविदा की शर्तों में कोई संशोधन करता है जो विभाग को स्वीकार्य नहीं है, तो सरकार किसी भी अन्य अधिकार या उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना बोली सुरक्षा/बयाना राशि (EMD) जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।

20. यह 'निविदा आमंत्रण सूचना' अनुबंध दस्तावेज का एक हिस्सा होगी। सफल निविदाकर्ता/ ठेकेदार को, स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा उसकी निविदा स्वीकार किए जाने पर, कार्य प्रारंभ होने की निर्धारित तिथि से **15 दिनों के भीतर** अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे - निविदा आमंत्रण सूचना, अतिरिक्त शर्तों, विनिर्देशों और रेखाचित्रों सहित सभी दस्तावेज, निविदा आमंत्रण और उसकी स्वीकृति के समय जारी किए गए निविदा का निर्माण, साथ ही उससे संबंधित कोई पत्राचार और मानक सी.पी.डब्ल्यू.डी. (CPWD) फॉर्म-7/ 8 ।

अधिशाषी अभियंता
पूर्वी नदियाँ मंडल
केन्द्रीय जल आयोग, भुवनेश्वर

प्रतिलिपि सूचनार्थ/ व्यापक प्रसार हेतु:-

1. मुख्य अभियंता, महानदी एवं पूर्वी नदियाँ संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, भुवनेश्वर
2. अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, केन्द्रीय जल आयोग, भुवनेश्वर
3. निदेशक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, भुवनेश्वर
4. अधिशाषी अभियंता, महानदी मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, बुर्ला
5. उपमंडलीय अभियंता, ब्राह्मणी उप-मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, राउरकेला
6. उपमंडलीय अभियंता, बैतरणी उप-मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, भुवनेश्वर
7. उपमंडलीय अभियंता, वंषधारा उप-मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, ब्रह्मपुर
8. उपमंडलीय अभियंता, सुवर्णरेखा उप-मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, बालासोर
9. उपमंडलीय अभियंता, निचली महानदी उप-मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, भुवनेश्वर
10. सहायक लेखा अधिकारी, पूर्वी नदियों मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, भुवनेश्वर
11. कनिष्ठ अभियंता (मु°), पू° न° मं°, के° ज° आ°, भुवनेश्वर (सीपीपी पोर्टल पर जारी करने के निर्देश के साथ)
12. सूचना पट्ट (भुवनेश्वर स्थित केन्द्रीय जल आयोग के सभी कार्यालय के)
13. निदेशक, एस. एम. निदेशालय, नई दिल्ली (केन्द्रीय जल आयोग के पोर्टल पर अपलोड करने हेतु)
14. कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (हिन्दी- धारा 3 (3) के लिए)

भारत सरकार/Government of India
केन्द्रीय जल आयोग/ Central Water Commission
अधिशासी अभियंता का कार्यालय/ Office of the Executive Engineer
पूर्वी नदियाँ मंडल/ Eastern Rivers Division
प्लॉट संख्या ए13 & 14, भोईनगर भुवनेश्वर
Plot No. A-13 & 14 Bhoi Nagar, Bhubaneswar- 751022
दूरभाष- 0674 2540086 Tel- 0674 2540086
ई मेल- eeerdcwc@yahoo.co.in e-mail- eeerdcwc@yahoo.co.in

सत्यमेव जयते

NOTICE INVITING TENDER

NIT No: ERD/JE(HQ)/NIT/2024-25/ 2439 - 52 **Dated: 10/12/2024**

The Executive Engineer, Eastern Rivers Division, CWC, Plot No. A-13 & 14, Bhoi Nagar, Bhubaneswar-751022 (Odisha), invites online tender on behalf of President of India from the bonafide/ authorized/ Govt. approved contractors/ firms/ agencies for the following work and as per the terms and conditions given below.Tender should be submitted latest by **16:00 hrs of 06.01.2025** and the same will be opened **on 07.01.2025 at 16.00 hrs.**

Sl. No.	Nameofwork	Estimated Cost of work (Rs)	Bid Security (Rs.) (E.M.D)	Cost of Tender document (Rs.)	Period of Completion
1.	Repairing and Renovation of Conference Hall at M&ERO, CWC, Bhubaneswar	16,30,528/-	32,611/-	500/- (non-refundable)	90 Days

Terms and Conditions:

1. A complete set of tender document of the above work containing detailed terms and conditions, schedule of quantities can be obtained/ downloaded from **https://eprocure.gov.in** by the eligible agencies up to **14:00 hrs of 06.01.2025. Tenderers are also advised to submit hard copy (In Original) of the cost of tender document and EMD to the office of the Executive Engineer, Eastern Rivers Division, CWC, Bhubaneswar before 16.00 hrs of 07.01.2025 by any means of communication. Tenders shall only be accepted on receipt of the cost of tender document and EMD as specified above.** The cost of tender document shall be paid through A/C payee Demand Draft drawn on any scheduled bank in favour of the Executive Engineer, Eastern Rivers Division, CWC, Bhubaneswar payable at Bhubaneswar.

2. The rates should be quoted inclusive of all taxes including GST (18%) and no charges shall be accepted separately in other forms.

3. Tenders must be accompanied by Bid security (EMD) of **Rs. 32,611.00** (Rupees thirty two thousand six hundred eleven only) in the form of Bank Guarantee/ Banker's Cheque/ Demand Draft/ Letter of Credit of a scheduled bank/ Government loan bond/ NSC/ Postal Pass Book duly pledged in favour of the Executive Engineer, Eastern Rivers Division, CWC, Bhubaneswar payable at Bhubaneswar. The MSE firms registered under Public Procurement policy are exempted from payment of EMD and the cost of the Tender. MSE firms are requested to enclose certificate(s) to get such exemption.

4. There will be a **pre-bid meeting** at the office of the Executive Engineer, Eastern Rivers Division, CWC, Bhubaneswar on the date and time mentioned above in which all intended bidders/

Tenderers are requested to attend the meeting positively. The primary objective of this meeting is to discuss the nature of works/ its technical difficulties and to ensure that all prospective bidders have a thorough knowledge/ understanding of the solicitation's requirements. It allows for the dissemination of crucial information about the scope of the work and any important conditions attached to the work etc.

5. The tenderers shall have requisite eligibility criteria for participating otherwise their tenders will be rejected. For this, the tenderers shall produce proof from the appropriate authorities of having satisfactorily completed same work(s)/ similar nature of work(s) certificate(s) during the last 07 (seven) years, where the works provided by them are satisfactory and the same could be enquired. The bidder shall have to fulfill the criteria of providing satisfactory performance as given below:

   Experience of having successfully completed works during the last **07 years** ending last day of the previous month and completed.
   Three similar works* costing not less than the amount equal to 40% of the estimated cost
   OR
   Two similar works* costing not less than the amount equal to 60% of the estimated cost
   OR
   One similar work* costing not less than the amount equal to 80% of the estimated cost

   FURTHER

   For MSE firms registered under PP policy should have following experience during the last 7 years ending last day of the previous month and completed:

   Three similar works* costing not less than the amount equal to 20% of estimated cost
   OR
   Two similar works* costing not less than the amount equal to 30% of the estimated cost
   OR
   One similar work* costing not less than the amount equal to 40 % of the estimated cost

   ***Similar nature of work(s) means building construction works/ repairing and renovation of building/ construction of roads/ bridges etc. for any Central Govt. or State Govt. or PSUs etc.**
   Tender of the bidder/ tenderers not fulfilling above mentioned criteria will be summarily rejected.

6. Blacklisted tenderers/ bidders are advised not to participate in tendering process. Each tenderer has to submit one undertaking stating that he is not blacklisted by any Central Government agency/ State Government agency/ Undertakings of Central or State Government. During execution of work if it has been revealed that the contractor has been blacklisted earlier, then the Executive Engineer on behalf of President of India will be at liberty to terminate the contract without giving any compensation to the contractor.

7. Average Annual Turnover for the last 3 years should not less than the estimated cost of the Tender. For MSE firms registered under PP policy should have average annual turnover for the last 3 years not **less than 50%** of the estimated cost.

8. In an abnormally Low Bid the bidder should submit a written declaration or clarification, that the bidder shall not compromise with scope of the work, quality of the work, schedule, allocation of risks and responsibilities and all other terms of the bid document. If, after evaluating the price analyses, procuring entity determines that the bidder has substantially failed to demonstrate its capability to deliver the contract at the offered price, the Procuring Entity may reject the Bid/ Proposal.

9. Tender shall only be submitted in CPPP website in two envelopes marked as Envelope-I named

"TECHNICAL DOCUMENTS" and Envelope-II named "FINANCIAL BID". In Envelope-I, there must be scanned copy of cost of tender, EMD and required technical documents as per tender document. In Envelope- II there must be Financial BOQ. In case any short comings in envelope- I tender will be rejected due to technical disqualification. Similarly, any short comings found in Envelope-II (Financial BOQ), tender will be rejected.

10. The Executive Engineer reserves the right to reject or accept any bid without assigning any reason thereof.

11. The Contractor, whose tender is accepted, will be required to furnish **performance guarantee of 3%** (Three Percent) of the tendered amount within stipulated period. This guarantee shall be in form of Banker's cheque/ Demand Dra/ Pay order of any scheduled bank or Government Securities or Fixed Deposit Receipt or Guarantee Bonds of any Scheduled Bank or state Bank of India or online payment in accordance with the prescribed form. The performance guarantee will be returned after successful performance during warranty period.

12. The Executive Engineer, on behalf of President of India, does not bind to accept the lowest or any other tender, and reserves its right to reject any or all of the tenders received without assigning any reason. The Executive Engineer reserves to himself the right of accepting the whole or any part of the tender and the tenderer shall be bound to perform the same at the rates quoted.

13. Tenders, in which any of the prescribed conditions are not fulfilled or incomplete in any respect are liable to be rejected.

14. Canvassing whether directly or indirectly, in connection with tenders is strictly prohibited and the tenders submitted by the contractors who resort to canvassing will be summarily rejected.

15. The tenderer shall not be permitted to tender for works in the CWC department in which his near relative is posted as Divisional Accountant or as an officer in any capacity between the grades of Chief Engineer and Junior Engineer (both inclusive). He shall also intimate the names of persons who are working with him in any capacity or are subsequently employed by him and who are near relatives to any Gazetted officer in the Central Water Commission or in the Ministry of Jal Shakti, Department Water Resources, RD & GR. Any breach of this condition by the tenderer would render him liable to be removed from this tender participation.

16. The description of the work is as follows:
The work "Repairing and Renovation of Conference Hall at M&ERO, CWC, Bhubaneswar" is a renovation work of a Conference Hall of approximate size 9.50 m x 6.0 m situated at the first floor of a three storied office building of CWC located at Bhubaneswar city. The major components of the work are (i) Dismantling of False Ceiling and its re-construction (ii) Dismantling of aluminum windows and replacement with UPVC windows (iii) Coir veneered wall paneling and UPVC louver wall paneling (iv) making of ply wood file cabinets, bottoms and lofts (v) Repairs and modification of Conference Table (vi) Modification of door (vii) Repairing of chairs (approx. 40 Nos.) (viii) Installation of ceiling LED lights, 02 Nos. single phase cassette ceiling 2 ton Air Conditioner (ix) Electrical wirings (x) 01 No. glow sign board (xi) Installation of approx. 10 Nos. microphone sets with central control unit (touch screen) (xii) 240 watts or more mixing amplifier, HDMI cables, speaker cables, microphone cables, audio cables, other cables (xiii) HDMR board with wooden finish (xiv) Window Screens/ Roller Blinds etc. To adhere to the detailed specifications of the work intended bidders are requested to go through the technical specifications mentioned in the tender documents.

17. The tenderers are advised to inspect the work site/ office and its surroundings and satisfy themselves before submitting their tenders as to the form and nature of the site, the means of access to the site, the accommodation they may require etc. In general, tenderers shall themselves obtain all necessary information as to risks, contingencies and other circumstances, which may

influence or affect their tenders. A tenderer shall be deemed to have full knowledge of the work site, whether he inspects it or not NO extra claims due to any misunderstanding or otherwise shall be allowed. The tenderer shall be responsible for arranging and maintaining at his own costs all materials, tools and plants, water, electricity access, facilities for workers and all other services required for executing the work unless otherwise specifically provided in the contract documents. Submission of a tender by a tenderer implies that he has read this notice and all other contract documents and has made himself aware of the scope and specifications of the work to be done and of conditions and rates at which stores, tools and plant, etc. will be issued to him by the Government and local conditions and other factors having a bearing on the execution of the work.

18. No Engineer of gazetted rank or other gazetted officer employed in Engineering or Administrative duties in an Engineering Department of the Government of India is allowed to work as a contractor for a period of one year after his retirement from Government service, without the previous permission of the Government of India in writing. This contract is liable to be cancelled if either the contractor or any of his employees is found any time to be such a person who had not obtained the permission of the Government of India as aforesaid before submission of the tender or engagement in the contractor's service.

19. The tender shall remain open for acceptance for a **period of 120 days** from the due date of submission of tenders. If any tenderer withdraws his tender before the said period or makes any modifications In the terms and conditions of the tender which are not acceptable to the department, then the Government shall, without prejudice to any other right or remedy, be at liberty to forfeit the earnest money.

20. This 'Notice Inviting Tender' shall form a part of the contract document. The successful tenderer/ contractor, on acceptance of his tender by the accepting authority shall, **within 15 days** from the stipulated date of start of the work, sign the contract agreement consisting of - the Notice Inviting Tender, all the documents including additional conditions, specifications and drawings, forming the tender as issued at the time of invitation of tender and acceptance thereof together with any correspondence leading thereto and standard C.P.W.D. Form- 7/8.

G. Ananth Sai

Executive Engineer
Eastern Rivers Division
CWC, Bhubaneswar

Copy for information/ wide circulation to:-

1. The Chief Engineer, M&ERO, CWC, Bhubaneswar
2. The Superintending Engineer, HOC, CWC, Bhubaneswar
3. The Director, M&A Dte. CWC, Bhubaneswar
4. The Executive Engineer, Mahanadi Division, CWC, Burla
5. The Sub-Divisional Engineer, Brahmani Sub-Division, CWC, Rourkela
6. The Sub-Divisional Engineer, Baitarani Sub-Division, CWC, Bhubaneswar
7. The Sub-Divisional Engineer, Vamsadhara Sub-Division, CWC, Berhampur
8. The Sub-Divisional Engineer, Subarnarekha Sub-Division, CWC, Balasore
9. The Sub-Divisional Engineer, Lower Mahanadi Sub-Division, CWC, Bhubaneswar
10. The Assistant Accounts Officer, Eastern Rivers Division, CWC, Bhubaneswar
11. The Junior Engineer(HQ), E R Division, CWC, Bhubaneswar with the direction to float it on CPP Portal
12. Notice Board of CE/ HOC/M&A Dte./ ERD office, CWC, Bhubaneswar
13. The Director, SM Dte. CWC, New Delhi for uploading in CWC portal
14. Junior Translation Officer (Hindi- for rule. 3(3).